पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या.17619

==========

कृष्ण कांत सिन्हा, आयु लगभग 82 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय शिव राम प्रसाद सिन्हा, श्याम नगर लेन-2 मुजफ्फरपुर, सचिव पेंशनभोगी समाज, बी. आर. बी. ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार सरकार के वित्त सचिव, पटना।
4. निदेशक, लोक शिक्षण, बिहार सरकार, पटना।
5. कुलपति, बी. आर. बी. ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
6. बी.आर.ए., बिहार विश्वविद्यालय मुज़फ़्फ़रपुर अपने कुलसचिव के माध्यम से।
7. वित्तीय सलाहकार बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
8. वित्त अधिकारी, बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
9. बिहार सरकार की लेखा परीक्षक बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर।

.... उत्तरदाता/गण

==========

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-अपने सेवानिवृत्ति बकाया का जल्द से जल्द निपटान नहीं करने/नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायत जैसे कि अपने अधिकारों को लागू करते हुए-नियोक्ता/राज्य की ओर से सेवानिवृत्ति बकाया का निपटान नहीं करने/नियमित रूप से पेंशन का भुगतान करने में किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। (पैरा-6)

नियोक्ता/राज्य सरकार सेवानिवृत्ति के समय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अग्रिम प्रावधान करने और नियमित रूप से पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है-सेवानिवृत्ति के समय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पहले से पूरी की जानी चाहिए-सेवानिवृत्ति लाभ राशि को संपत्ति का अधिकार माना जाना चाहिए। (पैरा-6.1)

पेंशन एक वैधानिक अधिकार है, न कि एक इनाम-पेंशन प्राप्त करने का कर्मचारी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है। ----- (1983) 1 एस. सी. सी. 305, (2015) 9 एस. सी. सी. 540, (1971) 2 एस. सी. सी. 330, (1988) 3 एस. सी. सी. 32, (2011) 11 एस. सी. सी. 702, (2001) 8 एस. सी. सी. 71, (2013) 12 एस. सी. सी. 210 ------ पर निर्भर थे।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या.17619

==========

कृष्ण कांत सिन्हा, आयु लगभग 82 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय शिव राम प्रसाद सिन्हा, श्याम नगर लेन-2 मुजफ्फरपुर, सचिव पेंशनभोगी समाज, बी. आर. बी. ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव उच्च शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार सरकार के वित्त सचिव, पटना।
4. निदेशक, लोक शिक्षण, बिहार सरकार, पटना।
5. कुलपति, बी. आर. बी. ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
6. बी.आर.ए., बिहार विश्वविद्यालय मुज़फ़्फ़रपुर अपने कुलसचिव के माध्यम से।
7. वित्तीय सलाहकार बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
8. वित्त अधिकारी, बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
9. बिहार सरकार की लेखा परीक्षक बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अनुपा नंद झा, अधिवक्ता
		श्री संतोष कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी-राज्य के अधिवक्ता	:	श्री अमरेंद्र कुमार ए.ए.जी. के ए.सी,
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
वी.के.एस. विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री राजेश प्रसाद चौधरी, अधिवक्ता
मगध विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

मौखिक निर्णय

(माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख : 08-10-2018

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को उजागर करने वाली जनहित याचिका की प्रकृति में दायर किया है और सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त लाभों/पेंशन लाभों का पूर्व में निपटान नहीं करने और यदि सेवानिवृत्त लाभों/पेंशन लाभों का निपटान हालांकि देर से किया भी जाता है इसके बाद ऐसे मामले में उन्हें हर महीने नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है और कई बार उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन लाभों का समय पर निपटान न कर और हर महीने नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं करने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गरिमा के साथ रहने के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ सहपठित अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

2.1. याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला है कि कई बार और ज्यादातर बार उन्हें तीन से चार महीने के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है और प्रत्येक कैलेंडर महीने के पहले दिन नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है।

3. इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में श्री राजेश प्रसाद चौधरी, विद्वान वकील प्रतिवादी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से पेश होते हैं; श्री राकेश कुमार सिंह, विद्वान वकील बी. आर. ए. की ओर से पेश होते हैं। बिहार विश्वविद्यालय; और श्री शिवेंद्र किशोर, विद्वान वरिष्ठ वकील मगध विश्वविद्यालय की ओर से पेश होते हैं और श्री अमरेंद्र कुमार, विद्वान वकील प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश होते हैं।

3.1 यह संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से मामला है कि विश्वविद्यालयों को अनुदान और/या राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि पर निर्भर रहना पड़ता है और जब भी राज्य सरकार सेवानिवृत्ति लाभ/पेंशन लाभ/पेंशन के भुगतान के लिए निधि/अनुदान जारी करती है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वही भुगतान किया जाता है। यह संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से मामला है कि अधिकांश समय, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को समय पर और महीने-दर-महीने के आधार पर अनुदान/निधि जारी नहीं करती है।

3.2 प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8-बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए भुगतान को दर्शाने वाला चार्ट प्रदान किया है जो निम्नानुसार हैः-

<u>राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान -विश्वविद्यालय द्वारा किया गया भुगतान।</u>

पत्र सं	तिथि	महीनों	
1096	30-06-16	मार्च, अप्रैल, मई, 2016	11-07-16
1596	28-10-16	जून से सितंबर 2016	04-11-16
125	31-01-17	अक्टूबर और नवंबर 2016	02-02-17
274	26-02-17	16 दिसंबर से 17 फरवरी	04-03-17
997	15-05-17	मार्च और अप्रैल 2017	24-05-17
1073	24-05-17	मई 2017	05-06-17

3.3. बिहार राज्य की ओर से एक काउंटर दायर किया गया है, जिसकी पुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव ने की है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय राज्य सरकार को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट भेजता है। इसके बाद, विश्वविद्यालय उन बजटों को वैध रूप से

नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्तों में होने वाले अनुमानित खर्च के आधार पर तैयार करते हैं, जिसमें उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान शामिल है जिनके उस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने की संभावना है। यह कहा गया है कि राज्य सरकार उन अनुमानित बजटों के अनुसरण में प्रत्येक विश्वविद्यालय को निधि जारी करती है, जो बदले में इसका उपयोग करते हैं और सरकार को उपयोग प्रमाण पत्र भेजते हैं। यह कहा जाता है कि कई बार, विश्वविद्यालय एक आवेदन के माध्यम से एक अनुरोध भेजते हैं, हालांकि इसे एक उचित प्रारूप में भेजा जाना चाहिए था जो आगे मांग को संसाधित करने में अनावश्यक देरी का कारण बनता है। यह कहा गया है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को वेतन के भुगतान के साथ-साथ कानूनी और वैध तरीके से काम करने वाले अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए नियमित रूप से अनुदान जारी कर रही है। यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को नियमित अनुदान देने के अलावा, राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया के कारण होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया जा रहा है।

4. संबंधित पक्षों की ओर से और उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं संबंधित विश्वविद्वालयों राज्य सरकार के तरफ से दाखिल जबाबी हलफनामा एवं पूरक जबाबी हलफनामा पर विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय दोनों एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। हालाँकि, वास्तविक पीड़ित वे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्हें अपना और अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है।

4.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से, राज्य सरकार के साथ-साथ संबंधित विश्वविद्यालयों दोनों को एक ठोस नीति या प्रणाली विकसित करने का निर्देश

दिया गया था ताकि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन लाभों का जल्द से जल्द निपटान किया जा सके। हालांकि, उनमें से कोई भी ठोस नीति के साथ सामने नहीं आया है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार हर महीने पेंशन के भुगतान के लिए राशि/अनुदान जारी नहीं कर रही है, इसलिए संबंधित पेंशनभोगियों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रही है। ऊपर दिए गए चार्ट से यह पता चलता है कि संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जुलाई, 2016 के महीने में मार्च, अप्रैल, मई, 2016 के लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है; जून से सितंबर, 2016 तक के लिए 04.11.2016 को अक्टूबर और नवंबर, 2016 के लिए 02.02.2017 को दिसंबर, 2016 से फरवरी, 2017 के बीच की अवधि के लिए 04.03.2017 को और इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों मे से किसी को भी हर महीने नियमित रूप से पेंशन नही मिली है और उन्हें भीख मांगनी पड़ती है।

5. अंतिम निर्देश जारी करने से पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय सेवानिवृत कर्मचारियों के अधिकार पर, संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

5.1. **डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ के मामले में, पैराग्राफ 18 से 20 में (1983) 1 एस. सी. सी. 305** में सूचित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया और कहा तक-

> *"18. उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और जवाब देने में आसान सवाल उठाता है कि पेंशन का भुगतान क्यों किया जाता है। और इसे उदार बनाने की आवश्यकता क्यों थी?क्या नियोक्ता, जिसमें राज्य भी शामिल होगा, पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है?क्या नियोक्ता पर रोजगार का अनुबंध समाप्त होने और कर्मचारी द्वारा*

सेवा देना बंद करने के बाद भी पूर्व कर्मचारी के लिए व्यवस्था करने का कोई दायित्व है?

19. पेंशन क्या है?पेंशन के लक्ष्य क्या हैं? यह किस जनहित या उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, यदि कोई हो?यदि यह किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, तो क्या यह एक निश्चित तिथि से पहले और बाद में सेवानिवृति के इस तरह के कृत्रिम विभाजन से विफल हो जाता है?हमें इन और प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर खोजने की आवश्यकता है ताकि इस याचिका के पक्षों के बीच न्याय हो सके।

20. पेंशन के एक इनाम होने की पुरानी धारणा-नियोक्ता की मीठी इच्छा या अनुग्रह के आधार पर एक निः शुल्क भुगतान, जो एक अधिकार के रूप में दावा करने योग्य नहीं है और इसलिए, अदालत के माध्यम से पेंशन के किसी भी अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता है यह धारणा देओकिनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971)2 ए.सी.सी. 330 मे सूचित संविधान पीठ के निर्णय द्वारा जिसमें इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के भीतर आने वाला एक सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है। यह भी माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। केवल सेवा और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के लिए उस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन

पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अधिकारी को ऐसे किसी आदेश के कारण नहीं बल्कि नियमों के आधार पर प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि ***पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह में, (1976) 2 एस. सी. सी. 1*** *में रिपोर्ट किया गया निर्णय के द्वारा पुष्टि की गई थी। "*

5.2. **डी. एस. नकारा** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर और **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम (बनाम) महेंद्र नाथ शर्मा, (2015) 9 एस. सी. सी. 540** में पारित निर्णय को सूचित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है। यह भी देखा गया है कि कर्मचारी को उसके बेदाग करियर के लिए लाभ प्रदान किया जाता है। यह भी देखा गया है कि अनुचित मुकदमेबाजी से बचना और मुकदमेबाजी के लिए किसी भी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है।

5.3. **देवकिनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में जो (1971) 2 एस. सी. सी. 330** में सूचित है यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है कि पेंशन सरकार की मीठी इच्छा और खुशी पर दर्ज इनाम नही है और दूसरी ओर, पेंशन का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी में निहित एक मूल्यवान अधिकार है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि कर्मचारी का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के तहत एक संपत्ति है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त दावा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत संपत्ति है और यह अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद (5) द्वारा संरक्षित नहीं है।

5.4. **ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा बनाम रसानंद दास के मामले में, जो (2003) 10 एस. सी. सी. 297** में रिपोर्ट किया गया, है माननीय उच्चतम न्यायालय

ने कहा है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह लंबी सेवा के लिए कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

5.5. पेंशन में वृद्धि के संबंध में इस मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत पेट्रोलियम प्रबंधन कर्मचारी पेंशनभोगी बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मामले (मामले) में जो (1988) 3 एस. सी. सी. 32** में रिपोर्ट किया गया है माना कि रुपये ने अपना मूल्य काफी हद तक खो दिया है। पेंशन को अब इनाम के रूप में नहीं माना जाता है और इसे संपत्ति माना जाता है। यह आगे देखा गया है कि हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में, सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में वृद्धि हुई है जो अन्यथा इसका हकदार है इस राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य ने दायित्व लिया है।

5.6. **पूनामल बनाम भारत संघ के मामले में, जिसे (1985) 3 एस. सी. सी. 345** में प्रतिवेदित किया गया है यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि पेंशन केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक वादे की पूर्ति है क्योंकि यह बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता या इसी तरह के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता के चरित्र को शामिल करता है। यह भी देखा गया है कि प्रासंगिक नियम केवल संवैधानिक जनादेश को प्रभावी बनाते हैं। पेंशन एक अधिकार है न कि इनाम या मुफ्त भुगतान। पेंशन का भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यह प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होता है और नियमों के तहत पेंशन का हकदार कोई भी व्यक्ति इसे अधिकार के रूप में दावा कर सकता है।

5.7. **पेप्सू आरटीसी बनाम मंगल सिंह के मामले में, जो (2011) 11 एस. सी. सी. 702** में सूचित, है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास 'पेंशन' की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करने का अवसर था। यह माना जाता है कि 'पेंशन' उस

अधिकार की प्रकृति है जो एक कर्मचारी ने नियोक्ता को लंबी सेवा प्रदान करके अर्जित किया है। यह पिछली सेवा के लिए मुआवजे का विलंबित भुगतान है। यह भी देखा गया है कि पेंशन लाभ प्रदान करने का उद्देश्य कर्मचारी और उसके परिवार को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह भी देखा गया है कि पेंशन योजना के तहत सरकार/नियोक्ता का दायित्व कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर ही शुरू होता है और यह कर्मचारी की मृत्यु तक जारी रहता है। यह कार्यालय से जुड़ा एक अधिकार है और इसे मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि पेंशन एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु तक की राशि का आवधिक भुगतान है। उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि 'पेंशन' कोई दान या इनाम नहीं है और न ही यह एक सशर्त भुगतान है जो पूरी तरह से नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। यह एक लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित किया जाता है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संविधान की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप है जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को सामाजिक न्याय प्रदान करती है।

5.8 **सुब्रत सेन बनाम भारत संघ के मामले में, जो (2001) 8 एस. सी. सी. 71** में सूचित, है यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार देखा गया हैः

> *"पेंशन न तो कोई इनाम है, न ही नियोक्ता की मीठी इच्छा के आधार पर अनुग्रह की बात है, न ही अनुग्रह भुगतान है। यह पिछली सेवाओं के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर*

लगातार मेहनत की कि अपने बुढ़ापे में उन्हें संकट में नहीं छोड़ा जाएगा। "

5.9 **झारखंड राज्य बनाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में, जो (2013) 12 एस. सी. सी. 210** में रिपोर्ट किया गया है, यह देखा गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि उपदान और पेंशन उपहार नहीं हैं। एक कर्मचारी इन लाभों को अपनी लंबी, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा से अर्जित करता है। इस प्रकार यह एक कठिन लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" की प्रकृति में होता है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को नहीं खोया जा सकता है।

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और ऊपर निर्दिष्ट उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को सुनने के बाद, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का जल्द से जल्द निपटान नहीं करना और/या नियमित रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं करना ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। यह उनके जीवन के अधिकार, गरिमा के साथ जीने के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को प्रभावित करेगा। नियोक्ता/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की ओर से सेवानिवृत्ति बकाया/पेंशन लाभ/पेंशन का निपटान नहीं करने और हर महीने नियमित रूप से सेवानिवृत्ति बकाया/पेंशन लाभ/पेंशन का भुगतान नहीं करने में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, राज्य, आदर्श नियोक्ता होने के नाते, और यहां तक कि विश्वविद्यालय और 2016 का पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.17619। नियोक्ताओं को एक नीति के साथ आना चाहिए था ताकि सेवानिवृत्त लाभों/पेंशन लाभों का जल्द से जल्द निपटान किया जा सके और उन्हें हर महीने

नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा सके। हालाँकि, दुर्भाग्य से, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार दोनों एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और संयुक्त बैठकों के बावजूद, वे नियमित रूप से सेवानिवृत्ति लाभ/पेंशन लाभ/पेंशन के भुगतान के संबंध में कोई नीति विकसित करने में विफल रहे हैं।

6.1 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हर साल, विश्वविद्यालयों को वित्तीय वर्ष में होने वाले सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान सहित खर्च के अनुसार अपने बजट का अनुमान लगाना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों को इस बात की जानकारी होती है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसलिए, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट के साथ प्रस्ताव भेजते समय, विश्वविद्यालयों को उन कर्मचारियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने की संभावना रखते हैं, ताकि उन सभी को उनकी सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जा सके और उसके बाद उन्हें पेंशन का भुगतान किया जा सके यदि वे हर महीने नियमित रूप से पेंशन के हकदार हैं। हर महीने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतीक्षा करने और भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार पेंशन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम प्रावधान करने के लिए बाध्य हैं ताकि उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा सके। इसी तरह, सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान भी संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख को या उससे पहले पूरा किया जाना आवश्यक है और उक्त अभ्यास बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे सेवानिवृत्ति लाभ मिल सकें जो प्राप्त करने का उसका अधिकार है और जिसे संपत्ति का अधिकार माना जाता है ।

6.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण हेतु, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी-बिहार राज्य और प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। आगे यह भी अभिनिर्धारित एवं निर्णित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देश बिहार राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

(i) कि विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ/पेंशन लाभ/पेंशन की राशि सहित अनुमानित बजट अग्रिम रूप से भेजेंगे, जो अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने हैं। यह निर्धारित प्रारूप में होगा ताकि राज्य बजटीय प्रावधान करे और तदनुसार संबंधित विश्वविद्यालय के पक्ष में अनुदान अग्रिम रूप से जारी करे।

(ii) विश्वविद्यालय उन सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन लाभों का निपटान करेंगे जो संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा उसकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि से कम से कम तीन महीने पहले उपलब्ध हो और उसे अपनी सेवानिवृत्ति पर और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर तुरंत देय और देय सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह सेवानिवृत्ति लाभों/पेंशन लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार होगा।

(iii) कि राज्य सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन/पेंशन का अनुदान अग्रिम निश्चित रूप से जारी करें और किसी भी मामले में तीन महीने का अनुदान अग्रिम रूप से जारी करें, जिसका अर्थ है, उदाहरण के लिए, मार्च, 2018 के महीने के लिए, अनुदान दिसंबर, 2017 / जनवरी, 2018 के महीने में निश्चित रूप से संबंधित विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालयों को, भुगतान किया जाना चाहिए ताकि संबंधित सेवानिवृत्त

कर्मचारी को हर महीने नियमित रूप से और प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर महीने के 7वें दिन या उससे पहले पेंशन का भुगतान किया जा सके, जिसका अर्थ है कि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार को इसके द्वारा प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर महीने की पहली और सातवीं तारीख के बीच नियमित रूप से हर महीने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

6.3. वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और उपरोक्त निर्देशों के साथ उपरोक्त सीमा तक इसकी अनुमति दी जाती है।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(आशुतोष कुमार, न्यायाधीश)

सुनिल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।